न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 22/अपील/23 तारीख दायराः 13.09.2023

इकबाल पुत्र बफाती जाति मुसलमान निवासी बकानी

तहसील बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी

जिला झालावाड़ प्रकरण संख्या 02/23 दिनांकः 25.07.2023

उपस्थितः– पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांकः 19.06.2024**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 25.07.2023 जो मिसल न0 02/2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम बकानी की आराजी ख0न0 836 रकबा 0.0126 हेक्टेयर किस्म चरागाह का अतिकमी मानकर 03/–रू0 शास्ती तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दोषी घोषित किया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधी के सिद्धातों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर झालावाड़

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट दौराने बहस दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष सुना नहीं जा सका। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है एवं अपीलांट ने टीन शेढ़ युक्त ढाबा (दो पक्की दुकाने बनाकर जिनकी छत पर आरसीसी व लोहे के शटर) लगाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसे नहीं हटाया गया है इस कारण अपीलार्थी को किसी भी तरह की राहत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेराकार सरकार भी पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण हटाने बाबत लिखित में पाबंद भी किया जा चुका था, बावजूद पाबंद किये जाने अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण यथावत बनाये रखने पर ही अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी का आदतन अतिक्रमी होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कब्जा रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी द्वारा वर्तमान भी कब्जा यथावत कर अतिक्रमण नही हटाया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार तहसील बकानी को निर्देशित किया जाता है अपीलांट द्वारा किये कब्जे को नियमानुसार हटवाये जाने की कार्यवाही अमल में लायें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 19.062024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर,
झालावाड़